भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 374
11 अगस्त, 2017 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन

***374. श्री के.एन. रामचन्द्रन:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन क्रियान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सशस्त्र बलों के कार्मिकों में असंतोष है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में 11.08.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 374 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) सरकार ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 07.11.2015 को आदेश जारी कर दिए थे । दिनांक 30.04.2017 तक रक्षा बलों के 21,08,398 पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को 8,792.01 करोड़ रुपए की राशि तीन किश्तों में जारी की जा चुकी है । भुगतान के लिए चौथी एवं अंतिम किश्त अगस्त, 2017 से देय है ।

(ग) से (ङ): कुछ भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशने पेंशन निर्धारण, इसके संशोधन की आवधिकता, भविष्य में समय-पूर्व सेवानिवृत्ति (पीएमआर) के मामलों को शामिल करने की कार्य प्रणाली में बदलाव करने की मांग करते रहे हैं । सरकार ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन से यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती तो उस की जांच करने के लिए दिनांक 14.12.2015 को एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) नियुक्त की है । समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.10.2016 को प्रस्तुत कर दी है । सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) की सिफारिशों की व्यवहार्यता एवं वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए दिनांक 19.07.2017 को एक आंतरिक समिति गठित की है ।

विभाग के पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ में पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की ओर से ओआरओपी के लाभों का भुगतान न किए जाने से और उनकी शिकायतों का समय-बद्ध तरीके से निवारण करने के लिए संबंधित कार्यालयों अर्थात रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) तथा पेंशन संवितरण एजेंसियों (बैंकों) के साथ मामले को उठाए जाने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । सेना मुख्यालय और सीजीडीए में भी भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए समर्पित शिकायत निदेशालय/प्रकोष्ठ हैं । सरकार द्वारा इन शिकायतों का निवारण करने के लिए शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जाती है ।

*****